न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी श्री प्रभातीलाल जाट आर.ए.एस (न्याय आपके द्वार –2017) कैम्प खेड

मुकदमा नंबर 615/2016

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

तहसीलदार,पचपदरा

1. दौली पत्नि देराराम जाट, 2.अनिल कुमार पुत्र पुखराज, 3. अशोक कुमार वल्द मोहनलाल, 4.हुलासी देवी पत्नि लक्ष्मीचंद 5.हेमलता पत्नि अरविन्द कुमार 6. सुशीला देवी पत्नि प्रकाश बी. आजाद 7.गीतादेवी पत्नि ओमप्रकाश वगैहरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांक :– 18.05.2017

पत्रावली आज पेश हुई। राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार) कैम्प देवरिया में पेश हुई प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आश्य का प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्रम जेरला मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। उनका अंकन किया जावे।

राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते/ सडक के रूप मे अभिलिखित नही है,मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है को राजस्व रेकर्ड में दर्ज/ तरमीम के आदेश दे रखे है।

अतः मौजा हनुमाननाडी मन्दिर से रूपला नाडा तक के ख0न0 कमश : 213, 275, 285, 905/256, 906/256 253, 927/288, 252, रकबा कमशः 0.

(प्रभाती लाल जाट)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत - 2017
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा केम्प 215

Scanned by CamScanner

13, 0.07, 1.18, 0.17, 0.17, 0.08, 1.01, 0.18 बीघा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते/ सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया, किन्तु बावजूद इत्ला कोई उज्र एतराज पेश नही किया।

हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालात मे होने की ताईद की है तथा किसी प्रकार की आपति प्रकट नहीं की है। पटवारी हल्का मौजा जैरला ने संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित नक्शे मे 'ए' से 'बी' बिन्दु तक ख0न0 क्रमश : 213, 275, 285, 905/256, 906/256 253, 927/288, 252, रकबा क्रमशः 0. 13, 0.07, 1.18, 0.17, 0.17, 0.08, 1.01, 0.18 बीघा रास्ता वर्तमान मे चालू बताया है तथा इसे राजस्व रेकार्ड में सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे मे तरमीम करने की प्रार्थना की है। विप्रार्थीगण ने भी इस पर कोई ऐतराज नहीं किया एवं अपनी सहमति प्रकट की। अतः भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का आधार पत्रावली पर नहीं है। प्रार्थी विप्रार्थीग को समझाईश की गई तथा दोनो पक्षों ने अपनी सहमति प्रदान की है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलाकन अध्ययन किया।

बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/ तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म गै मु. रास्ता दर्ज किया जावें।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा जैरला में अवस्थित ख0न0 क्रमश : 213, 275, 285, 905/256, 906/256 253, 927/288, 252, रकबा क्रमशः 0.13, 0.07, 1.18, 0.17, 0.17, 0.08, 1.01, 0.18 बीघा के बिन्दु 'ए' से 'बी' में वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु 'ए' से 'बी' का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प में दिनांक 18.05.2017 को सुनाया गया ।

(प्रमाती लाल जाट)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत - 2017
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.........215.........

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नंबर 615/2016

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

तहसीलदार,पचपदरा

1. दौली देवी पत्नि देराराम, अनिल पुत्र पुखराज, अशोक कुमार वल्द मोहनलाल, हुलासी देवी पत्नि लक्ष्मीचंद वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

संशोधित आदेश दिनांक :– 17.04.2018

पत्रावली आज पेश हुई । प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आश्य का प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्राम **जैरला** मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। उनका अंकन किया जावे।

राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते/ सडक के रूप मे अभिलिखित नही है,मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है को राजस्व रेकर्ड में दर्ज/ तरमीम के आदेश दे रखे है।

अतः मौजा **जैरला** के ख0न0 कमशः 273, 275, 285, 905/256, 906/256, 253, 927/288, 252, 929/288 रकबा कमशः 0.13, 0.07, 1.18, 0.17, 0.17, 0.08, 1.01, 0.18, 0.11 मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते/ सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया, किन्तु बावजूद इत्ला कोई उज्र एतराज पेश नही किया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

ठा निशान
ने वाले के

Scanned by CamScanner

हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालात मे होने की ताईद की है तथा किसी प्रकार की आपति प्रकट नहीं की है। पटवारी हल्का मौजा **जैरला** ने संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित नक्शे मे 'ए' से 'बी, ' बिन्दु तक ख0न0 कमशः 273, 275, 285, 905/256, 906/256, 253, 927/288, 252, 929/288 रकबा कमशः 0.13, 0.07, 1.18, 0.17, 0.17, 0.08, 1.01, 0.18, 0.11 रास्ता वर्तमान मे चालू बताया है तथा इसे राजस्व रेकार्ड में सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे मे तरमीम करने की प्रार्थना की है। विप्रार्थीगण ने भी इस पर कोई ऐतराज नहीं किया एवं अपनी सहमति प्रकट की। अतः भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का आधार पत्रावली पर नहीं है। विप्रार्थीगण संख्या–6 की और से वकील ने वकालतनामा पेश किया जो लेकिन जबाब पेश नहीं किया । पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया।

बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/ तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म गै मु. रास्ता दर्ज किया जावें।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा **जैरला** में अवस्थित ख0न0 कमशः 273, 275, 285, 905/256, 906/256, 253, 927/288, 252, 929/288 रकबा कमशः 0.13, 0.07, 1.18, 0.17, 0.17, 0.08, 1.01, 0.18, 0.11 के बिन्दु 'ए' से 'बी, ' बिन्दु तक में वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु 'ए' से 'बी, ' बिन्दु तक का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश आजं दिनांक को 17.04.2018 को सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
भू. अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा